भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4431

दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

स्मार्ट मीटरों का धीमी गति से लगाया जाना

4431. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्मार्ट मीटरों के लिए आसान रिचार्ज और शिकायत पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने हेतु कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उन कतिपय क्षेत्रों में स्मार्ट मीटरों को स्थापित करने की धीमी गति की जानकारी है, जहां प्रगति धीमी रही है और अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार,117.7 मिलियन में से केवल 14.5 मिलियन मीटर ही स्थापित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा विशेषकर सांगली जैसे जिलों में इसका सुदृढ़ कार्यान्वयन और व्यापक रूप से स्थापित करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में देश में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम के तहत**,** हानि न्यूनीकरण वाली अवसंरचना एवं स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है।

संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम(आरडीएसएस) के तहत संस्वीकृत 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटर के कुल लक्ष्य में से, देश में लगभग 1.36 करोड़ (6.7%) स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। विद्युत मंत्रालय नियमित रूप से विभिन्न वितरण यूटिलिटी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की प्रगति की समीक्षा कर रहा है और आवश्यक कदम उठा रहा है।

स्मार्ट मीटरों की संस्थापना निम्नलिखित कारणों से प्रभावित हुई है:

- स्मार्ट मीटर एक नई अवधारणा होने के कारण निविदाएं जारी करने और भुगतान के लिए प्रत्यक्ष डेबिट सुविधा तंत्र की स्थापना में देरी हुई।

- उपभोक्ता अनुक्रमण के लिए डेटा का संग्रहण और सत्यापन।

- परीक्षण और अनुमोदन में लगने वाला समय जैसे क्षेत्र संस्थापना और एकीकरण परीक्षण, फैक्टरी स्वीकृति परीक्षण और इसी प्रकार का अन्य परीक्षण।

स्मार्ट मीटरों को प्रासंगिक तकनीकी और गुणवत्ता मानकों का पालन करना आवश्यक है और उनके पास वैध परीक्षण और बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणपत्र होना चाहिए। शिकायत निवारण के लिए वितरण यूटिलिटी द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर प्रदान किया गया है।

भारत सरकार ने स्मार्ट मीटर संस्थापना और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्नत मीटरिंग अवसंरचना सेवा प्रदाता की सेवाएं लेने के लिए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) जारी किया है। एसबीडी के खंड 2.5 धारा 6 में आसान रिचार्ज विकल्प प्रदान करने तथा उपभोक्ता शिकायतों को दर्ज करने/समाधान करने के लिए यूजर इंटरफेस बनाने का प्रावधान है। संदर्भ के लिए, सांगली जिले के लिए आसान रिचार्ज तथा शिकायत दर्ज करने के लिए मोबाइल ऐप-'महा विद्युत' उपलब्ध कराया गया है।

महाराष्ट्र के सांगली जिले सहित देश भर में स्मार्ट मीटरों की संस्थापना में तेजी लाने के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं:

- स्मार्ट मीटरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है, जिसमें बहुविध रिचार्ज विकल्प उपलब्ध कराने, उपभोक्ता फीडबैक तंत्र, प्रभावी शिकायत समाधान तंत्र और व्यापक उपभोक्ता सहभागिता अभियान आदि के प्रावधान शामिल हैं।

- स्मार्ट मीटर फीडबैक संग्रह यूनिट की स्थापना के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

- वितरण यूटिलिटी को विद्युत की खपत पर नियमित रूप से नजर रखने तथा एक से अधिक बार रिचार्ज करने के लिए स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप तैयार करने को कहा गया है।

- प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रीपेड उपभोक्ताओं को 5% तक की छूट प्रदान करने की सलाह दी गई है।

- स्मार्ट मीटर कार्यों की निविदा और अवार्ड तथा उनकी संस्थापना पर राज्यों और वितरण यूटिलिटी के साथ प्रगति की नियमित समीक्षा।

- वितरण यूटिलिटी को संस्थापित स्मार्ट मीटरों के 5% तक के लिए चेक मीटर लगाने की सलाह दी गई है तथा स्मार्ट मीटरों से संबंधित शिकायतों के मामले में इसे अनिवार्य कर दिया गया है।

- सरकारी प्रतिष्ठानों, सरकारी कॉलोनियों और औद्योगिक एवं वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं तथा अन्य उच्च भार वाले उपभोक्ताओं में स्मार्ट मीटर लगाने को प्राथमिकता देने के लिए परामर्श जारी किया गया है। उपर्युक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं में सफल प्रदर्शन के आधार पर, अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी स्मार्ट मीटर की संस्थापना की जा सकती है। साथ ही, परामर्श में स्मार्ट मीटर के संबंध में नियमित उपभोक्ता सहभागिता अभ्यास का सुझाव दिया गया है ताकि उपभोक्ता का विश्वास बनाया जा सके।

****